



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

विद्युत नियामक भवन

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर — 492001

दूरभाष क्र. —0771-4073568 फ़ैक्स: 4073553



क्रमांक: याचिका क्र. 103/2025/2026/

दिनांक: 12/02/2026

प्रेस विज्ञप्ति

टैरिफ याचिकाओं पर जन-सुनवाई

राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियाँ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के टू-अप, वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), टैरिफ निर्धारण तथा पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन संबंधी याचिकाएँ आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 11.07.2025 के टैरिफ आदेश के पुनरीक्षण हेतु भी याचिका दायर की गई है।

उक्त याचिकाओं के सारांश जनवरी माह में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जा चुके हैं तथा विस्तृत याचिकाएँ आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in एवं संबंधित याचिकाकर्ता कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग द्वारा उपरोक्त याचिकाओं पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जन-सुनवाई आयोजित की गई है।

उक्त याचिकाओं पर आयोजित ऑनलाइन जन सुनवाई में सम्मिलित होने के लिये आयोग द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के छः क्षेत्रों, दिनांक 17/02/2026 को दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव एवं दिनांक 18/02/2026 को अंबिकापुर, जगदलपुर एवं रायगढ़ में मुख्य अभियंता/कार्यपालक निदेशक के कार्यालय में व्यवस्था की गई है, इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित तिथि एवं समय पर मुख्य अभियंता/कार्यपालक निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होकर ऑन लाईन आयोग कार्यालय से जुड़ कर जन-सुनवाई में भाग ले सकते हैं।

ऑनलाइन जन-सुनवाई (क्षेत्रीय स्तर पर)

17 फरवरी 2026

दुर्ग — प्रातः 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक

बिलासपुर— दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

राजनांदगांव— दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

18 फरवरी 2026

अंबिकापुर— प्रातः 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक

जगदलपुर— दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

रायगढ़— दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक


उप-सचिव,
क.य.वि.नि.आ. रायपुर,

आयोग द्वारा उक्त याचिकाओं पर दिनांक 19/02/2026 को कृषि, घरेलू, गैर-घरेलू श्रेणी एवं दिनांक 20/02/2026 को स्थानीय निकाय, निम्न दाब एवं उच्च दाब उद्योग के लिए आयोग कार्यालय, रायपुर में भी प्रत्यक्ष जन-सुनवाई आयोजित की गई है। इच्छुक उपभोक्ता/पक्षकार निम्नलिखित तिथि व समय पर उपस्थित होकर अपनी आपत्तियाँ एवं सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग कार्यालय, रायपुर में प्रत्यक्ष जन-सुनवाई

19 फरवरी 2026 (गुरुवार)

दोपहर 12:00 – 01:30 बजे तक कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य

दोपहर 02:30 – 04:00 बजे तक घरेलू उपभोक्ता

सायं 04:00 – 05:30 बजे तक गैर-घरेलू उपभोक्ता

20 फरवरी 2026 (शुक्रवार)

दोपहर 12:00 – 01:30 बजे तक स्थानीय निकाय/नगर निगम/ट्रेड यूनियन आदि

दोपहर 02:30 – 04:00 बजे तक निम्न दाब उद्योग

सायं 04:00 – 05:30 बजे तक उच्च दाब उद्योग

विस्तृत जानकारी एवं याचिकाएँ आयोग की वेबसाइट www.csirc.gov.in पर उपलब्ध हैं।


(मधु प्रसाद पटेल)
उप सचिव
उप-सचिव,
रा.बि.नि.आ. रायपुर